

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 317 सन 2021

अनवान :-

1. अजय सिंह पुत्र राजराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. समेस्ता पत्नी राजाराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
2. कोमल पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 15/7/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 174/165 की कुल 8.8780 हैक् मे से 1110/4439 हिस्सा , व रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 346/317 के खसरा न० 317 की कुल 3.6420 हैक् भूमि में से 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 342/19 की कुल 10.5710 हैक् में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता राजाराम पुत्र पूर्णराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वादी के पिता राजाराम पुत्र पूर्णराम के नाम से दर्ज है वादी के पिता राजाराम पुत्र पूर्णराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पत्नि पुत्र/पुत्रीया है अर्थात राजाराम पुत्र पूर्णराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो राजाराम पुत्र पूर्णराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज हकदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है

प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं मृतक राजाराम पुत्र पूर्णराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की राजाराम पुत्र पूर्णराम जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उसके पति राजाराम पुत्र पूर्णराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है राजाराम पुत्र पूर्णराम के जायज एवं कानुनी वारिसान उसकी पत्नि /पुत्र/पुत्री वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो विरास्तन से वाद भूमि अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/माता वादी एवं प्रतिवादी संख्या



1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 174/165 की कुल 8.8780 हैक् मे से 1110/4439 हिस्सा , व रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 346/317 के खसरा न0 317 की कुल 3.6420 हैक् भूमि में से 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 342/19 की कुल 10.5710 हैक् में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता राजाराम पुत्र पूर्णराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वादी के पिता राजाराम पुत्र पूर्णराम के नाम से दर्ज है वादी के पिता राजाराम पुत्र पूर्णराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पत्नि पुत्र/पुत्रीया है अर्थात राजाराम पुत्र पूर्णराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो राजाराम पुत्र पूर्णराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज हकदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है

प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं मृतक राजाराम पुत्र पूर्णराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 174/165 की कुल 8.8780 हैक् मे से 1110/4439 हिस्सा , व रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 346/317 के खसरा न0 317 की कुल 3.6420 हैक् भूमि में से 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 342/19 की कुल 10.5710 हैक् में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता राजाराम पुत्र पूर्णराम के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के पिता राजाराम पुत्र पूर्णराम के नाम से दर्ज है वादी के पिता राजाराम पुत्र पूर्णराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पत्नि पुत्र/पुत्रीया है अर्थात राजाराम पुत्र पूर्णराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो राजाराम पुत्र पूर्णराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज हकदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल दावा पेश किया जा चुका है। उक्त कथन प्रस्तुत दस्तावेजात मृत्यू

20

प्रमाण पत्र एव वारिस प्रमाण पत्र से भी पूर्णतया साबित होता है अर्थात् वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 174/165 की कुल 8.8780 हैक् मे से 1110/4439 हिस्सा व रोही मौजा जुमासर के खाता संख्या 346/317 के खसरा न0 171 की कुल 3.6420 हैक् भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वादी के पिता राजाराम वल्द पूर्णराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 342/19 की कुल 10.5710 हैक् में से 1/4 हिस्सा भूमि वादी के पिता राजाराम वल्द पूर्णराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर 1/12 हिस्सा भूमि का वादी एवं 1/6 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/7/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

- 1 अजय सिंह पुत्र राजराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 समेस्ता पत्नी राजाराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
- 2 कोमल पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
- 3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण


वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 317 सन 2021 निर्णय दिनांक- 15/7/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 174/165 की कुल 8.8780 हैक् मे से 1110/4439 हिस्सा व रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 346/317 के खसरा न0 171 की कुल 3.6420 हैक् भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वादी के पिता राजाराम वल्द पूर्णराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 342/19 की कुल 10.5710 हैक् में से 1/4 हिस्सा भूमि वादी के पिता राजाराम वल्द पूर्णराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर 1/12 हिस्सा भूमि का वादी एवं 1/6 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/7/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

सत्यमेव जयते


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)